

प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 30.07.2022

हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 30.07.2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उप निरीक्षक प्रणव ओझा द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू मॉडल पुत्र अब्दुल हमीद निवासी तुर्कमानपुर जे.जे हॉस्पिटल थाना राजघाट जिला गोरखपुर को 29.07.2022 को समय करीब 23.05 बजे नार्मल ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 190/2022 धारा 323,504,506,307,325 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू मॉडल पुत्र अब्दुल हमीद निवासी तुर्कमानपुर जे जे हॉस्पिटल थाना राजघाट जिला गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:-

नार्मल ग्राउंड, दिनांक 29/07/2022 समय : 23:05 बजे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु.अ.सं.232/15 धारा 323,504,506,342 आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर
- 2-मु.अ.सं.14/15 धारा 323,307,406,411 आईपीसी थाना कोतवाली गोरखपुर
- 3-मु.अ.सं.158/15 धारा 307,323,406,419,420,467,468,471,504,506 आईपीसी थाना कोतवाली गोरखपुर
- 4-मु.अ.सं.176/22 धारा 323,504,506 आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर
- 5-मु.अ.सं.17/2018 धारा 147,307,323,504,506 आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर
- 6-मु.अ.सं.255/17 धारा 384,385 आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर
- 7-मु.अ.सं.337/20 धारा ¾ गुण्डा अधि. थाना राजघाट गोरखपुर
- 8-मु.अ.सं.95/2019 धारा 323,452,352 आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर
- 9-मु.अ.सं.22/19 धारा 110 जी आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर
- 10-मु.अ.सं.17/2018 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर
- 11-मु.अ.सं.190/22 धारा 307 323,504,506,325 आईपीसी थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1-उपनिरीक्षक प्रणव ओझा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2-कां.अरविन्द यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3-कां.मनोज चौधरी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर